भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3946

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

ईएलआई योजना की मुख्य विशेषताएं

3946. श्री युसूफ पठान.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1 जुलाई, 2025 को 1 लाख करोड़ रुपये की रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई केन्द्रीय मजदूर संघ इस योजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ऐसी किसी रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसका श्रम अधिकारों और रोजगार मानकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, के कार्यान्वयन से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कई मजदूर संघों ने आरोप लगाया है कि ईएलआई योजना अनौपचारिक और अनिश्चित रोजगार को प्रोत्साहित करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त चिंताओं को दूर करने और औपचारिक एवं सम्मानजनक नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सरकार ने सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन को सहयोग प्रदान करने, रोज़गार क्षमता में वृद्धि करने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए दिनांक 01.07.2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के नाम से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी। इस योजना की पंजीकरण अवधि 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्षों के लिए है और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 की अवधि के लिए इसका बजटीय परिव्यय 99,446 करोड़ रूपये है। इस योजना के दो भाग हैं, भाग क और भाग ख, और यह प्रोत्साहनों के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना के भाग क के अंतर्गत पहली बार नौकरी में आने वाले 1.92 करोड़ लोगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना के भाग ख के अंतर्गत नियोक्ताओं को लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त रोज़गार सृजन हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

यह योजना श्रम प्रधान मंत्रालयों, ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों और विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है ।

****